Date
29/05/2020

Subject - New Efforts in Elementary Education, D.El.Ed 2nd sem

Topic - Right to free and Compulsory Education for child Act - 2009

बाल शिक्षा का अधिकार

भारत का 86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान मे अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालको के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। व इसे मौलिक अधिकार मे सम्मिलित किया गया। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त, 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 संसद मे पारित किया गया। इसे 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया।

अनुच्छेद 29 (2) - के अन्तर्गत राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था मे किसी नागरिक के धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा इत्यादि के आधार पर प्रवेश के लिए रोका नही जा सकता।

अध्याय - 1 - प्रस्तावना, खण्ड - 2 मे विद्यालयो के प्रकार

(i) सरकार द्वारा स्थापित एवं नियमित विद्यालय
(ii) निजी विद्यालय जो सरकार द्वारा अनुदानित है,
(iii) केन्द्रीय, नवोदय, जैसे विशेष श्रेणी वाले विद्यालय
(iv) अनुदान न पाने वाले निजि विद्यालय

Scanned with CamScanner

अध्याय -2 → निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

अध्याय -3 → केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व

अध्याय - 4 → विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व

अध्याय - 5 → प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना,

अध्याय - 6 → बाल अधिकारों का संरक्षण

अध्याय - 7 → अन्य प्रासंगिक बाते

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य :-

1] आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना

2] प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना व इसका सार्वभौमिकरण करना।

3] देश मे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना

4] बालकों की शिक्षा के प्रति रूची को बढ़ावा देना।

5] बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना।

6] देश मे शिक्षा के स्तर को सुधारना।

7] ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना।

8] बालकों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म तथा छात्रवृत्ति प्रदान कर शिक्षा को बढ़ावा देना।

9] उन क्षेत्रों मे विद्यालय स्थापित कर शिक्षा पहुचानाँ जहाँ अभी तक शिक्षा का प्रसार नही हो सका।

Complete

Scanned with CamScanner